International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science ISSN: 2349-2819
Impact Factor: 7.10
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-12, Issue-9 September – 2025 www.ijarets.org

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जनजीवन में महत्व का एक अध्ययन

डॉ.राकेश चन्द्र (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)

राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश

rakesh7916378@gmail.com

सारांश, भारत जैसे देश में जहां भारत की 68.8% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें करीब 83.3 करोड़ लोग शामिल हैं। यह जानकारी 2011 की जनगणना पर आधारित है, जो दर्शाता है कि दो–तिहाई से अधिक भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो दर्शाता है कि शहरीकरण के बावजूद ग्रामीण भारत अभी भी देश की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण–शहरी अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ भारतीयों में से 83.3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि 37.7 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते थे। भारत की लगभग 70% आबादी सीधे या परोक्ष रूप से कृषि और ग्रामीण गतिविधियों पर निर्भर है, जिससे गांवों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात और भी अधिक हो जाता है। इसी लिए पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। पंचायत भारत के प्राचीनतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही इस योजना का प्रारंभ माना जाता है। 2 अक्टूबर का दिन गांधीजी के जन्म तिथि होने के कारण चुना गया है। गाधीजी ग्रामों के हितों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे। वे ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव मानते थे। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, अतः हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। हमारे संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा कि वे (ग्राम पंचायतें) स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इस शोध पत्र में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जनजीवन में क्या महत्व होता है, का अध्ययन विस्तार के साथ किया गया है।

मुख्य शब्द, भारतीय ग्रामीण, पंचायती राज, संविधान, स्थानीय शासन आदि।

प्रस्तावना, हमारा जनतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यों में हाथ बटाये और अपने पर शासन करने का उत्तरदायित्व स्वयं प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज ही एक मात्र उपयुक्त योजना है। पंचायतें ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। जिसमें गणतंत्र के समस्त गुण पाये जाते हैं। प्रजातंत्र की सार्थकता विकेन्द्रीयकरण में है। यदि शक्तियां विकेन्द्रीकृत हो तो जनता की सहभागिता में वृद्धि होगी और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जायेगा। स्थानीय लोगों को अपने

आसपास की समस्याओं का ज्ञान तो होता ही है, उसका समाधान भी वे अच्छी तरह से कर सकेंगे। भारतीय संविधान मे किया गया 73वां संधोधन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। लेकिन इसे सरकारी कार्यक्रम की तरह चलाया गया, परिणाम स्वरूप यह योजना जनता को आकर्षित नहीं कर सकी। अतएव 1957 में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल बनाया गया। मेहता समिति ने जनसहभागिता में वृद्धि के लिए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की योजना प्रस्तुत की इस योजना को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पं. नेहरू ने उद्घाटित किया।

वर्तमान युग में प्रशासकीय जटिलतायें इतनी अधिक बढ़ी हैं कि प्रशासकीय कार्यों का एक ही स्थान पर होना संभव नही है। विकेन्द्रीकरण से सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व को इस आधार पर विभाजित किया गया है कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाईयों को समन्वित इकाइयों की तरह कार्य करने का सहज अवसर मिल सके है। जो दोष हम केन्द्रीय व्यवस्था में पाते हैं उनसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है।

1985 में डॉ. जी. वी. के. राव की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के आधार बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिस की। 1987 में पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा और उनमें सुधार के उपायों हेतु सुझाव देने के लिए डॉ लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। मई 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रचलित राज प्रणाली की अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए 64वां संशोधन विधेयक लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जो पारित न हो सका आज व्यवस्था से जुडी अन्य सभी संस्थाओं, राजनीतिक दलों की जो बाह्य दुर्दशा एवं धीमामस्ती है, वहीं पंचायतों में भी पाई जाती है। निहित स्वार्थी सत्ता के दलाल कुर्सी के भूखे, राजनीतिकों के अराजक उदण्ड चमचे ही सक्रिय हैं। इस कारण पंचायत चुनावों के समय ही मारधाड़, हत्या, लूट तथा व सारे हथकण्डे सामने आने लगते हैं जो सत्ता से सम्बंध रखने वाले अन्य बड़े संकायों के अवसर पर हुआ करते हैं। समर्थ प्रबल गुण्डातत्व ही आम ग्रामीणों को डरा धमकाकर पंच, सरपंच, आदि सभी कुछ चुने जाते हैं। इस चुने हुए प्रतिनिधियों में जिसका बहुमत अधिक होता है वे चारागाहों तथा ग्राम पंचायतों की भूमियों तक को स्वयं चट कर जाते हैं। न्याय के नाम पर मगरमच्छ व भेडिया न्याय होता है। आज भी पंचायतें हथकण्डों, गुण्डागर्दी का शिकार हो रही हैं। अतः इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इन समस्याओं से उसे परे उठाना है। जिससे ग्रामीण जनता तथा गांवों का पंचायत विकास कर अपने उद्देश्य में फलीभूत हो सके। गांधीजी ने ठीक ही कहा थाः– ''यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत भी नष्ट हो जायेगा। वह भारत भी नहीं होगा विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा।''

शोध पत्र की समस्या का चयनः– मैने अपने सर्वेक्षण के अन्तर्गत "पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण" नामक समस्या का चयन किया है। राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक होने के कारण मेरी रूचि प्रारंभ से राजनीतिक अध्ययन में रही है।

अतः अपने समाज की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन की उत्सुकता मेरे मन में थी यह अवसर मुझे मिला मैने अपनी पूर्ण जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस समस्या का चयन अपने इस शोध पत्र में किया है।

शोध पत्र के उद्देश्यः– विषय के अध्ययन के उद्देश्य निम्नालिखित रहे है।

- पंचायती राज के प्रति उनके विचार व पंचायत पद का संगठन, अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानना।
- पंचायत में आने वाले अपराध व पंचायत द्वारा दिये जाने वाले न्याय एवं दण्ड प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानना।
- पंचायतीराज की आवश्यकता, महत्व समस्या एवं सुझाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- पंचायती राज से पूर्व की व्यवस्था एवं पंचायत प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- पंचायत के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानना।

शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र, पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण भारत है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, खंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल हैं। यह एक त्रि–स्तरीय प्रणाली है जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देती है, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है। यह भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय है।

पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के मुख्य बिन्दु ग्रामीण स्वशासन, यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्व–शासन की एक प्रणाली है, जहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया निचले स्तर तक पहुँचती है। त्रि–स्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत गाँव स्तर पर सबसे निचली इकाई है। पंचायत समिति (या खंड समिति) ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती इकाई। जिला परिषद जिला स्तर पर शीर्ष इकाई है। विकेंद्रीकरण, शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण करके इसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर विभिन्न सरकारों में विभाजित किया जाता है, जो संघीय व्यवस्था को तीन–स्तरीय बनाती है। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देती है और ग्रामीण समुदायों को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए सशक्त बनाती है। आर्थिक और सामाजिक विकास इसका उद्देश्य है। ग्रामीण विकास को गति देना, सामाजिक न्याय स्थापित करना और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

सांविधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे उनकी भूमिका और कार्यप्रणाली को मजबूती मिली। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को विस्तार देने के लिए 1996 का पैसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियम) लाया गया, जो इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है।

शोध पत्र के उपकरण– वर्तमान (पंचायती राज व्यवस्था) समस्या के अध्ययन के लिए मैने साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है। क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत न्यूनतम है। और ऐसी दशा में प्रश्नावली जैसे उपकरण का प्रयोग शोध के हित में नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मैने अनुसूची को अध्ययन के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में चुना। इससे मेरी उपस्थिति भी उत्तरदाता को प्रेरित करने तथा यथार्थ की जानकारी प्राप्त करने हेतु सहायक हुई। उत्तरदाता को अस्पष्ट लगने वाले प्रश्नों को समझा पाना भी इस पद्वति से संभव हुआ। इसके अतिरिक्त अवलोकन और साक्षात्कार का लाभ भी मैने अनुसूची के साथ लिया। तथ्य संकलन– अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग से तथा, अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्वति के माध्यम से किया गया हैं। द्वितीयक तथ्यों का संकलन संदर्भ ग्रंथों और संबंधित साहित्य से किया गया है।

शोध पत्र का महत्व, प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग रही है। वस्तुतः पंचायतीराज प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है। जिसमें हमें लोकतंत्र का सही ढांचा दिखाई देता है। मगर वर्तमान पंचायती संस्थाऐं इस मायने में कई महत्वपूर्ण अधिकार साधन और उत्तर दायित्व सौपे गये है। स्वाधीनता से पहले और उसके बाद भी इस बात के लिए आंदोलन होता रहा कि अगर हमें सच्चे अर्थों में अपने गांवों में स्वराज्य पहुंचाना है तो उसके लिए पंचायती राज की स्थापना करनी होगी इनका महत्व और उपयोगिता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जो केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है। उनके द्वारा ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यो का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने पर इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्याओं में न रखकर गांव की पंचायत के कार्यकताओं के हाथों में पहुंच जाती है जिससे कि इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र बढ़ जाते हैं। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय समस्याओं को अच्छे ढंग से सुलझा सकते हैं। क्योकि वे लोग वहां की समस्या एवं परिस्थितियों को अधिक अच्छे से जानते है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किये हुए राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों का सुचाऊ ढंग से चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए ठोस आधार प्रदान करती है, शासन सत्ता ग्रामवासियों के हाथ में चली जाने से प्रजातांत्रिक संगठनों के प्रति उनकी रूचि जागृत होती है। पंचायती राज व्यवस्था के स्थापित होने से यह संस्था ग्राम व देश के लिए भावी नेतृत्व तैयार करती है। विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्या से अवगत होते है। इस प्रकार गांवों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने विकास कार्यो में जनता की रूचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।

पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। यह नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है। साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। पं. नेहरू ने स्वंय कहा था कि "मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है।" प्रो.

रजनी कोठारी के अनुसार "इन संस्थाओ ने नये स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियो से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। इस प्रकार इन संस्थाओं ने देश के राजनीतिक आधुनिकीकरण और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में कृषि के महत्व के लिए गांवों में जागरूकता उत्पन्न कर दी गई है।" यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न कारणों से ग्रामीण जनता में नई आशा और विश्वास पैदा करने में असफल रही है तथापि कुछ मायनों में यह संस्था अवश्य सफल रही है। जब तक ग्रामीणों में चेतना नहीं आती तब तक ये संस्थाऐं सफल नहीं हो सकती। इसके समक्ष कुछ नई समस्याऍं उत्पन्न हो गई हैं। जिसका निराकरण करना आवश्यक है।

- अशिक्षा और और ग्रामीणों की निर्धनता की विकट समस्या विकराल रूप धारण कर चूकी है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समुदाय व नेतृत्व अपने संकीर्ण स्तरों से उपर उठ नहीं पाते हैं।
- ऐसी स्थिति में ग्रामीण व्यक्ति पंचायती राज की आवश्यक्ता और महत्व के बारे में अज्ञानतावश और अपनी निर्धनता के कारण कुछ भी नहीं कर पाते ।
- पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी विशेष रूकावट रही है। पंचायतें स्थानीय राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं।
- यही हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावो में हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो पंचायतों को दूषित राजनीति से बचाया जा सकता है।
- लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरण करना है। यह तभी संभव है जब राजनीतिक प्रेरणा नीचे के स्तरों से शुरू हो और उच्च स्तर केवल मार्ग निर्देशन का कार्य करे।
- राज्य सरकारें इन संस्थाओं को अपने आदेशों का पालन करने वाला ऐजेन्ट मात्र न समझे। इसके लिए नौकरशाही की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन की अवश्यक्ताा है।
- संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी इन्हें शासकीय अनुदान पर ही जीवित रहने के लिए मजबूर करती है।
- पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत प्रदान किये जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके।
- राजनीतिक जागरूकता की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो पंचायती राज समस्याओं की सफलता में रूकावट बनती हैं।
- स्थानीय निकायों पर स्थानीय, सांसदों, मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का कब्जा हो रहा है।
- स्थानीय निकायों पर संगठित माफिआओं और अपराधियों का कब्जा हो रहा है।

- महिला आरक्षण अर्थहीन हो गया है, क्योंकि सरपंच या प्रधान पति नामक एक नवीन प्रजाति का उदय हुआ है।
- वैमनस्यता में वृद्धि हुई है।
- स्थानीय निकायों के सदस्य स्वस्थ योजनाओं के बजाय अधिकतम निर्माण कार्यों में रूचि लेते हैं, पंचायतों के अधिकांश ठेकेदार स्वयं पार्षद या उनके रिश्तेदार हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दूषित राजनीतिक संस्कृति के कारण पंचायती राज का क्रियान्वयन संन्तोषजनक नहीं है।

शोध पत्र के सुझाव,

- लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गांवों से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो।
- भारत में गांव आर्थिक समृद्धि के प्रतीक हैं। अतः देश तभी समृद्ध हो सकता है जबकि इसकी आत्मा के रूप में गांवों की प्रगति हो और गांवों का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है।
- आज जरूरत इस बात की है कि योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाये। निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जाय और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सख्त कार्यवाही की जाये।
- पूरे प्रशासनिक ढांचों को निजी स्वाथो से ऊपर उठाया जाये है।

निष्कर्ष, आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम पंचायती व्यवस्था के नाम पर राजनीति के केन्द्र न बन जाय यदि ऐसा होता है तो पंचायतीराज व्यवस्था की जडे. हिल जायेगी और सच्चे लोकतंत्र की आधार शिला ढह जायेगी । किसी भी देश, प्रदेश या गांव में पंचायती राज व्यवस्था तभी कारगर हो सकती है जब उसके क्रियाकलापों को दलगत राजनीति से दूर रखा जाय। यह भी सच है कि पंचायतीराज लोकतंत्र का यंत्र भी है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं में व्याप्त गुटबन्दी को समाप्त करना भी इनके हित में ही होगा । पंचायतों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय हालत में भी सुधार अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को भी पंचायतों के मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक के रुप में कार्य करना चाहिये। पंचायतीराज व्यवस्था को आम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करना चाहिए। आम जनता की भावना की अवज्ञा करके कोई भी देश लोकतंत्र की सफलता का दावा नहीं कर सकता। अगर पंचायती राज संस्था की कमियों को दूर कर लिया गया तो 2047 तक भारत को अवश्य ही विकसित बनाने में पंचायती राज संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी तथा इन संस्थाओं में महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया गया है, वह महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनायेगा। इससे समाज व देश का चहुँमुखी विकास हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- मुखर्जी, रविन्द्रनाथ, (2024) भारतीय समाज एंव संस्कृति दिल्ली, पृष्ठ संख्या 77

- विद्यामातंण्ड, सत्यव्रत (2023) भारत की जनजाति तथा संस्थायें देहरादून, पृष्ठ संख्या 61
- अग्रवाल,जी0 के0 (2020) भारतीय सामाजिक संस्थायें एस बीपीडी पब्लिशिंग आगरा पृष्ठ संख्या 132
- शर्मा, डी0 डी0 (2022) सामाजिक संरचना एंव सामाजिक परिवर्तन आगरा पृष्ठ संख्या 244
- जोशी, ओमप्रकाश (2018) ग्रामीण एंव नगरीय समाजशास्त्र दिल्ली पृष्ठ संख्या 109
- आर्या, विमला पंचायती राज और महिलाएं (2019) महिला जागृति एवं सशक्तिकरण/सं. गुप्ता जयपुर पृष्ठ संख्या 112
- बंसल, वंदना (2014) पंचायती राज में महिला भागीदारी.– दिल्ली कल्पाज प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 185
- बावा, नूरजहां (1996) संघिये ढ़ांचे से जुडे होई मुद्दे महिलाएँ और राजनीति सशक्तीकरण द्वारा नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सामाजिक विज्ञान, पृष्ठ संख्या 99
- विदुत मोहंती (1997) पंचायतें, महिलाएँ और प्राथमिक शिक्षा पर महिला राजनीति सशक्तीकरण दिवस समारोह, पृष्ठ संख्या 178